आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० रिविजन वाद संख्या–211 / 22

मुन्ना साह

बनाम्

बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
11.05.2023	यही पुनरीक्षणवाद समाहर्त्ता, पश्चिम चंपारण के वाद संख्या–19 / 2009 में दिनांक–18.12.2012 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। जिस आदेश से समाहर्त्ता, पश्चिम चंपारण, बेतिया ने वादी के जन वितरण प्रणाली हेतु प्रदत्त अनुज्ञप्ति को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बगहा–1 द्वारा रद्द किये जाने संबंधी आदेश को संपुष्ट किये जाने का आदेश पारित किया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुनने से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–18.12.2012 को आदेश पारित किया गया है जबकि वादी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक–08.09.2022 को वाद दायर किया गया है। अर्थात वादी द्वारा लगभग 09 वर्ष 06 महीना विलंब से वाद वायर किया गया है। वादी के विद्वान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा Delay को condone करने हेतु Condonation petition दाखिल किया गया है परन्तु उक्त आवेदन	

WEB COPY NOT OFFICIAL

मे उनके द्वारा यह कहा गया है कि समाहर्त्ता, पश्चिम चंपारण के आदेश दिनांक 18.12.2012 की जानकारी वादी को नहीं था। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश दिनांक–20.09.2009 के विरुद्ध समाहर्त्ता, पश्चिम चंपारण, बेतिया के न्यायालय में वाद दायर कर अपने अधिवक्ता लिपिक को पैरवी का भार सौंप कर जिविकोपार्जन के लिए बाहर चले गये एवं उनके (वादी) अधिवक्ता लिपिक से संबंधित वाद की जानकारी लेने पर उनके द्वारा वाद लंबित होने की बात बताया जाता था। दिनांक–20.07.2022 को वादी जब न्यायालय में जाकर पूछ–ताछ किये तब जानकारी हुआ कि दिनांक–18.12.2012 को ही उनका वाद खारिज हो गया है। जिस कारण वाद दायर करने में विलंब हुआ है।

उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा अपने विलंब को क्षांत करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि दिनांक–18.12.2012 को निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया एवं उसके लगभग 09 वर्ष 06 महीने बाद वादी को वाद के निस्तारण की जानकारी होना आश्चर्य की बात है। जहॉ तक वादी का यह कहना कि दिनांक–20.07.2022 को उन्हे वाद की निस्तारण की जानकारी हुई। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वाद के निस्तारण की जानकारी के बाद भी उनके द्वारा दिनांक–01.08.2022 को अर्थात 10 दिनों बाद सच्ची प्रतिलिपि हेतु आवेदन दिया गया है एवं दिनांक–08.08.2022 को सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त होने के बावजूद इस न्यायालय में दिनांक–08.09.2022 को अर्थात एक महीने विलंब से वाद दायर किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वादी को वाद में अभिरुचि ही नहीं थी। साथ ही वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद दायर करने मे हुए विलंब को क्षांत करने का कोई साक्ष्य आधारित

WEB COPY NOT OFFICIAL

तथ्य भी प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति मे आदेश की जानकारी विलंब से होने तथा पुनरीक्षण वाद दायर करने मे हुए विलंब का कोई संतोषप्रद जबाब वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नही दिया जा सका।

अतः प्रस्तुत रिविजनवाद को उपरोक्त कारणो से कालबाधित होने के कारण प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL